झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 458/2019

चंद्रा भाव्या, पिता-स्वर्गीय भूषण सिंह, उम्र लगभग 08 वर्ष,

संरक्षक नाना- अनिल कुमार चौधरी पिता-स्वर्गीय नारायण चौधरी, निवासी-मंझोली,

डाकघर-कोथ, जिला-रोहतास (बिहार)

...याचिकाकर्ता

बनाम

1. हार्दिक श्री उर्फ आयुष प्रथम सिंह, पिता- स्वर्गीय चंद्र भूषण सिंह, संरक्षक मां- बबीता सिंह, निवासी- प्लॉट नंबर 406, बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, डाकघर एवं थाना - सेक्टर-12, बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो।

2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा-2, सर्कस मैदान के पास, सेक्टर-IV, बी.एस. सिटी, बोकारो, डाकघर + थाना -बोकारो स्टील सिटी, जिला - बोकारो

... ... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री संतोष कुमार झा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री सचिन कुमार, अधिवक्ता

सुश्री सुरभि, अधिवक्ता

आदेश संख्या 03 : दिनांक 31 जनवरी, 2020

यह तत्काल आवेदन डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6752/2018 की पनुर्बहाली के लिए दायर किया गया है, जो कि दिनांक 01.05.2019 के आदेश का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था। दो सप्ताह के भीतर दोष को दूर करने के लिए अनिवार्य आदेश पारित किया गया था, लेकिन लिपिकीय गलती के कारण, निर्धारित समय में खामियां दूर नहीं की जा सकीं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

पनुर्बहाली आवेदन में दिए गए कारणों को देखते हुए प्रार्थना स्वीकार की जाती है और डब्ल्यू.पी. (सी) 6752/2018 को मूल फ़ाइल में पनुर्बहाल किया जाता है।

तदनुसार, सी.एम.पी. 458/2019 का निस्तारण किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

अलंकार/-